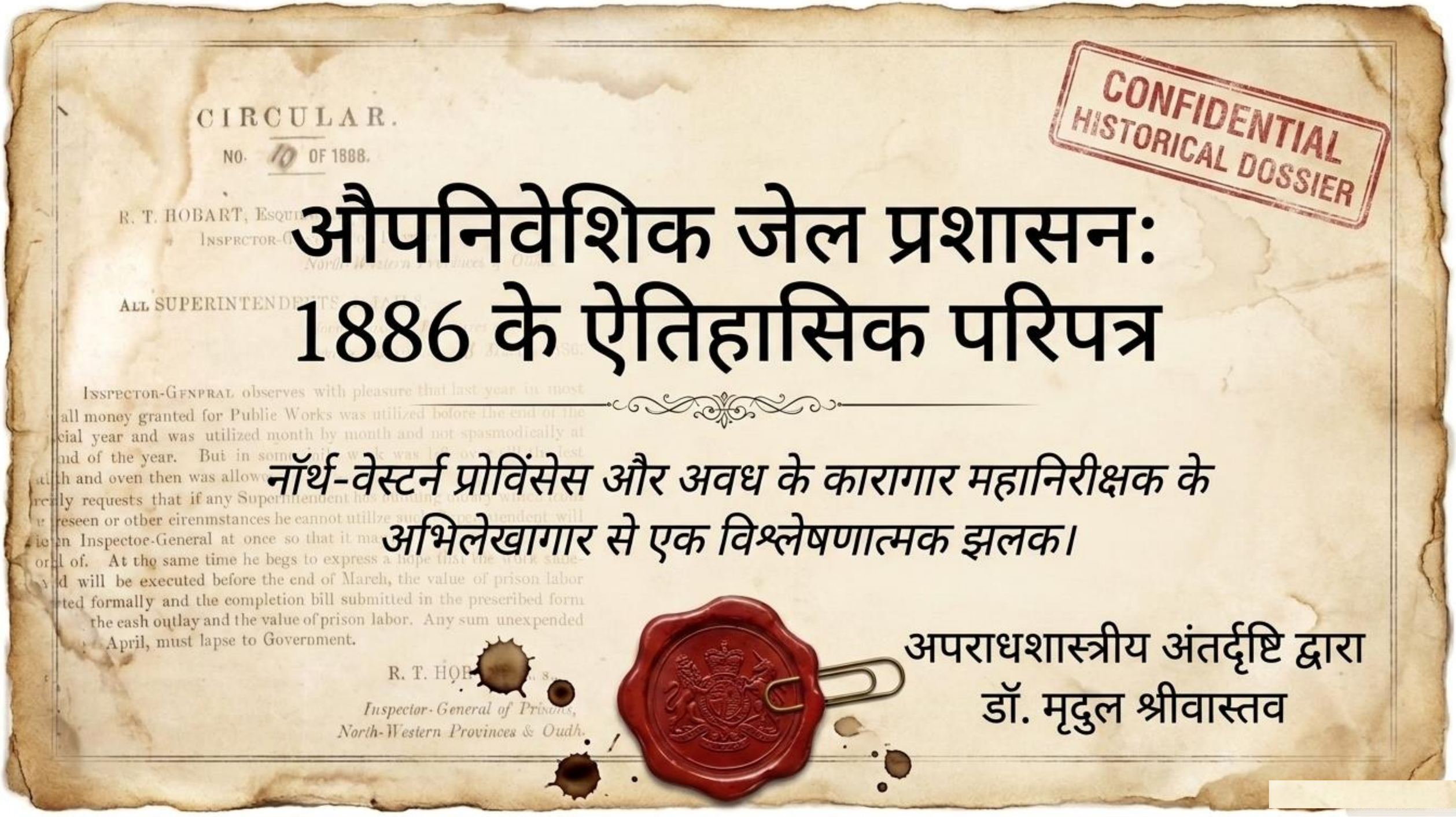

औपनिवेशिक जेल प्रशासन: 1886 के ऐतिहासिक परिपत्र

नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेस और अवध के कारागार महानिरीक्षक के अभिलेखागार से एक विश्लेषणात्मक झलक।

अपराधशास्त्रीय अंतर्दृष्टि द्वारा
डॉ. मृदुल श्रीवास्तव

1886 के जेल प्रशासन संबंधी ऐतिहासिक निर्देश
(Historical Instructions for Jail Administration, 1886)

यह इन्फोग्राफिक 1886 में जेल महानिरीक्षक आर.टी. होबार्ट (R. T. Hobart) द्वारा उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध (North-Western Provinces & Oudh) के लिए जारी किए गए आधिकारिक परिपत्रों (Circulars) का सारांश है। इसमें बजट प्रबंधन, कैदियों के कल्याण और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में निर्देश दिए गए हैं।

वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन
(Financial and Administrative Management)

बजट उपयोग की समयसीमा

लोक निर्माण के लिए आवंटित धन का उपयोग 31 मार्च तक करना अनिवार्य था, अन्यथा वह वापस सरकार के पास चला जाता था।

सजा में छूट के नियम

जुर्माना न भरने के कारण जेल में बंद कैदियों को 2 वर्ष की सजा या स्वैच्छिक श्रम के आधार पर सजा में छूट मिल सकती थी।

कैदियों का कल्याण और कानूनी प्रक्रिया
(Prisoner Welfare and Legal Process)

ठंड से सुरक्षा के उपाय

सर्दियों के दौरान कैदियों को ठंडी हवा से बचाने के लिए बैरकों में टाट के पर्दों का उपयोग करने का निर्देश था।

मृत्युदंड की अपील प्रक्रिया

मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की याचिकाओं के साथ फांसी की तारीख और अंग्रेजी में विवरण भेजना अनिवार्य किया गया था।

औपनिवेशिक जेल प्रशासन: १८८६ के अभिलेखागार से

उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध के जेल महानिरीक्षक आर.टी. होबार्ट के परिपत्रों का विश्लेषण

मार्च १८८६

प्रशासन के चार स्तंभ

अर्थव्यवस्था और दक्षता

परिपत्र संख्या 10

लागत-लाभ विश्लेषण

APPROVED

व्यावहारिक कल्याण

परिपत्र संख्या 11

जनसंख्या स्वास्थ्य

PROPOSED

श्रम और न्याय

परिपत्र संख्या 12

अनुबंध और विनियमन

REGULATED

मृत्युदंड की नौकरशाही

परिपत्र संख्या 14

कानूनी प्रक्रिया

EXECUTED

ये परिपत्र केवल नियम नहीं हैं;
ये औपनिवेशिक सत्ता की प्राथमिकताओं का
एक पारदर्शी दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

"मार्च रश": सार्वजनिक निर्माण और वित्तीय अनुशासन

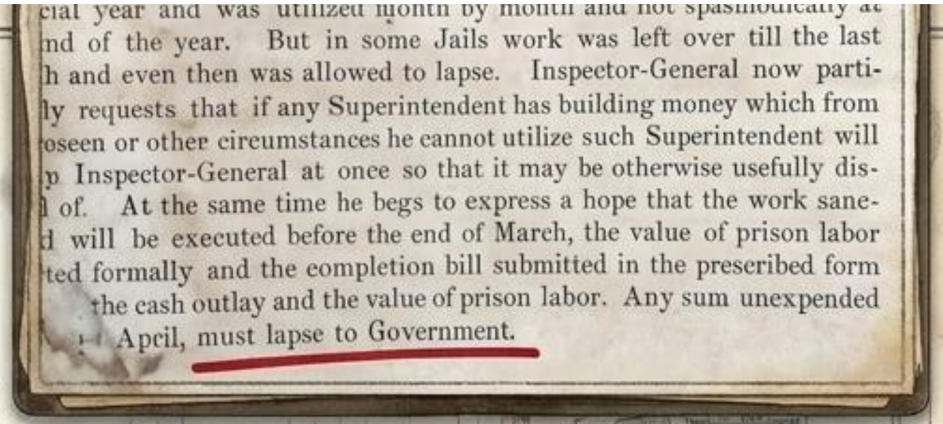
ciat year and was utilized month by month and not spasmodically at
nd of the year. But in some Jails work was left over till the last
h and even then was allowed to lapse. Inspector-General now parti-
ly requests that if any Superintendent has building money which from
oseen or other circumstances he cannot utilize such Superintendent will
p Inspector-General at once so that it may be otherwise usefully dis-
l of. At the same time he begs to express a hope that the work sane-
d will be executed before the end of March, the value of prison labor
ted formally and the completion bill submitted in the prescribed form
the cash outlay and the value of prison labor. Any sum unexpended
Apcil, must lapse to Government.

अंत वित्तीय वर्ष उलटी गिनती

बजट का आवंटन

निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि।

मार्च का अंत

कार्य पूर्ण होना चाहिए। जेल श्रम का मूल्य और नकद व्यय बिल (completion bill) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1 अप्रैल - धनराशि की जब्ती (Funds Lapse)

कोई भी अव्ययित राशि वापस सरकार को चली जाएगी।

अक्षमता के लिए कोई जगह नहीं।

यदि अधीक्षक धन का उपयोग नहीं कर सकते, तो उन्हें तुरंत महानिरीक्षक *(Inspector-General)* को सूचित करना होगा।

शीतकालीन सुरक्षा: ‘टाट पर्दा’ का ब्लूप्रिंट

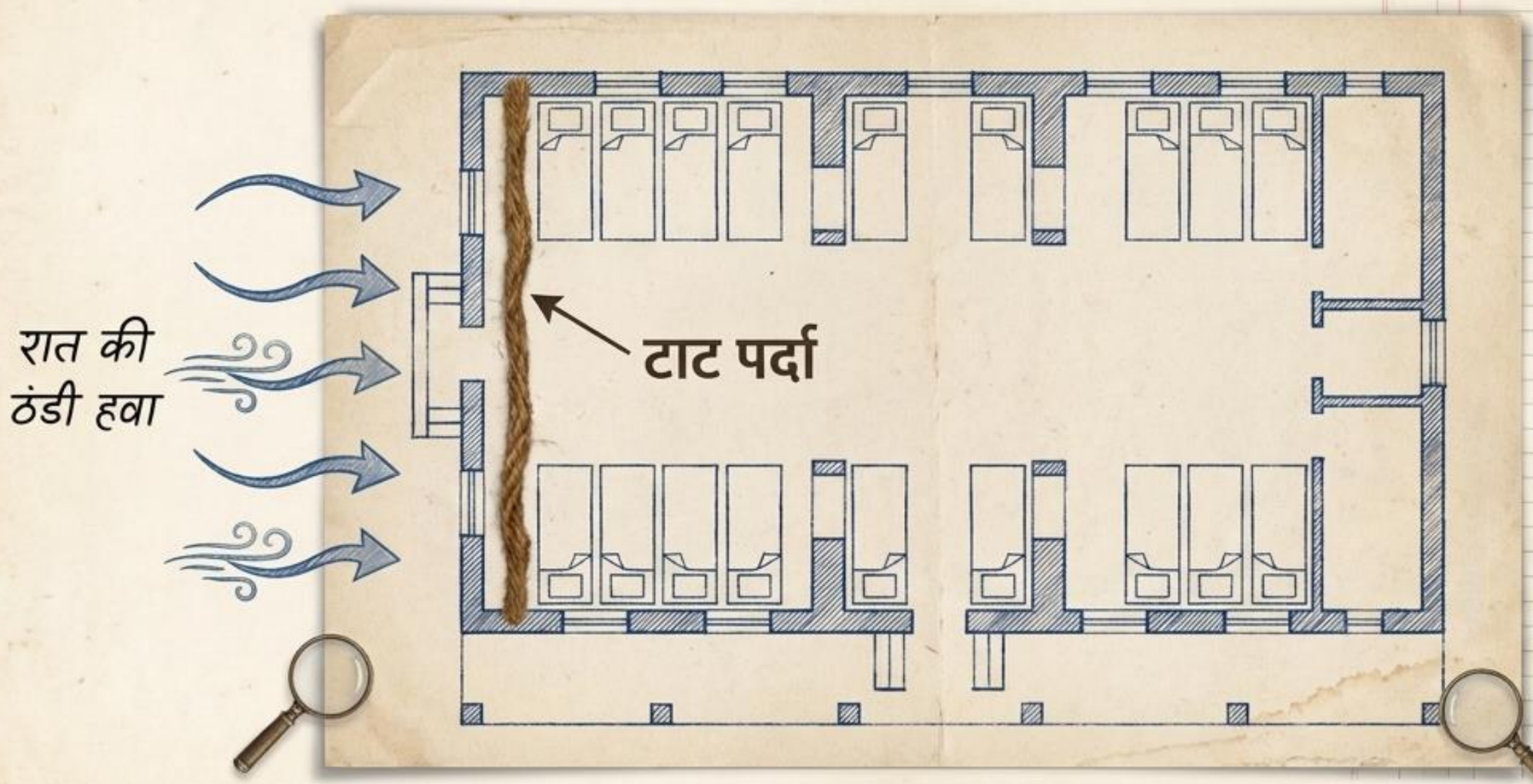

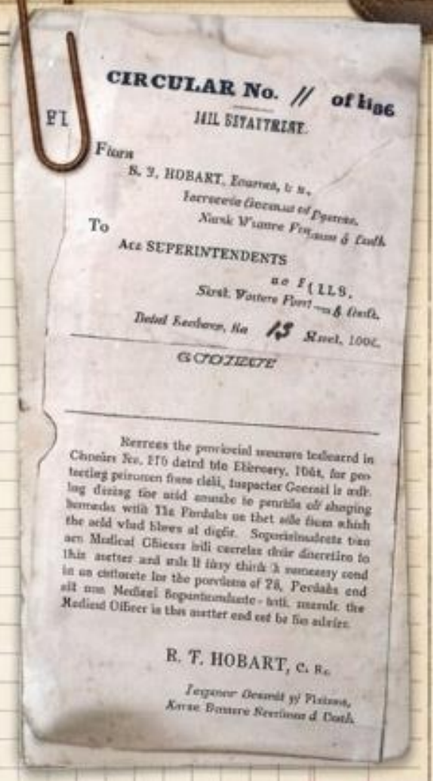
CIRCULAR No. // of 1886

To

ACE SUPERINTENDENTS

GAZETTE

R. T. HOBART, C. B.

फरवरी 1884 के आदेशों का विस्तार करते हुए, सभी स्लीपिंग बैरकों में केवल उसी दिशा में जूट के पर्दे लगाए गए जिधर से ठंडी हवा आती थी। यह कैदियों को ठंड से बचाने का एक किफायती लेकिन आवश्यक उपाय था।

पदानुक्रम और अधिकार: चिकित्सा बनाम प्रशासन

'टाट पर्दा' लगाने का निर्णय कौन लेगा?

चिकित्सा अधिकारी अधीक्षक	गैर-चिकित्सा अधीक्षक
- **अधिकार:** अपने विवेक का उपयोग	- **अधिकार:** कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं
- **प्रक्रिया:** यदि आवश्यक समझें, तो सीधे अनुमान (estimate) भेजें।	- **प्रक्रिया:** चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करना और उनकी सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है।

औपनिवेशिक व्यवस्था में कैदियों का स्वास्थ्य सीधा श्रम क्षमता से जुड़ा था, इसलिए चिकित्सा राय सर्वोपरि थी।

न्याय और श्रम: सजा माफी का निर्णय वृक्ष

जुर्माना न भरने की स्थिति में सजा माफी (Good conduct marks) के नियम।

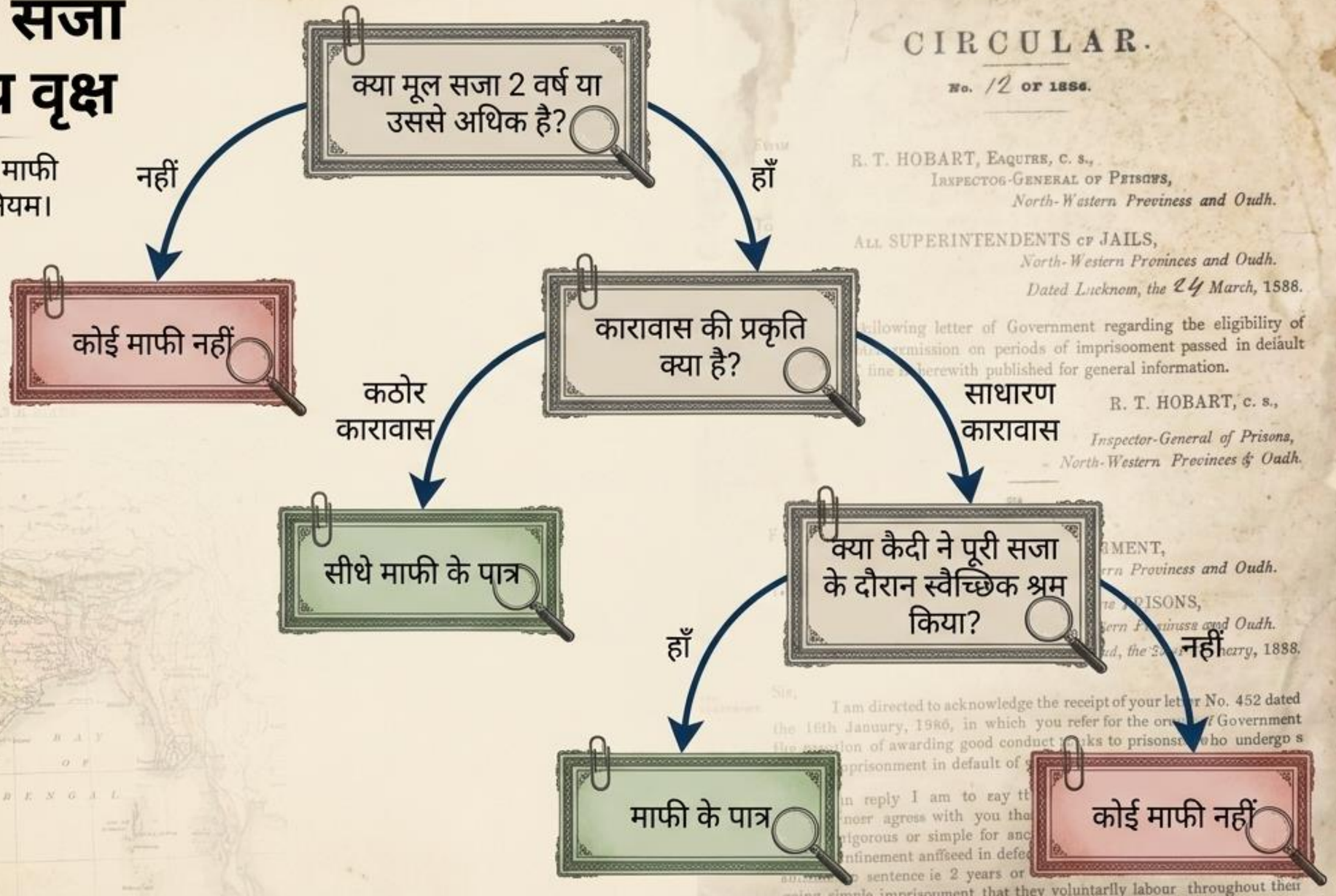

मृत्युदंड की नौकरशाही: अपील का मार्ग

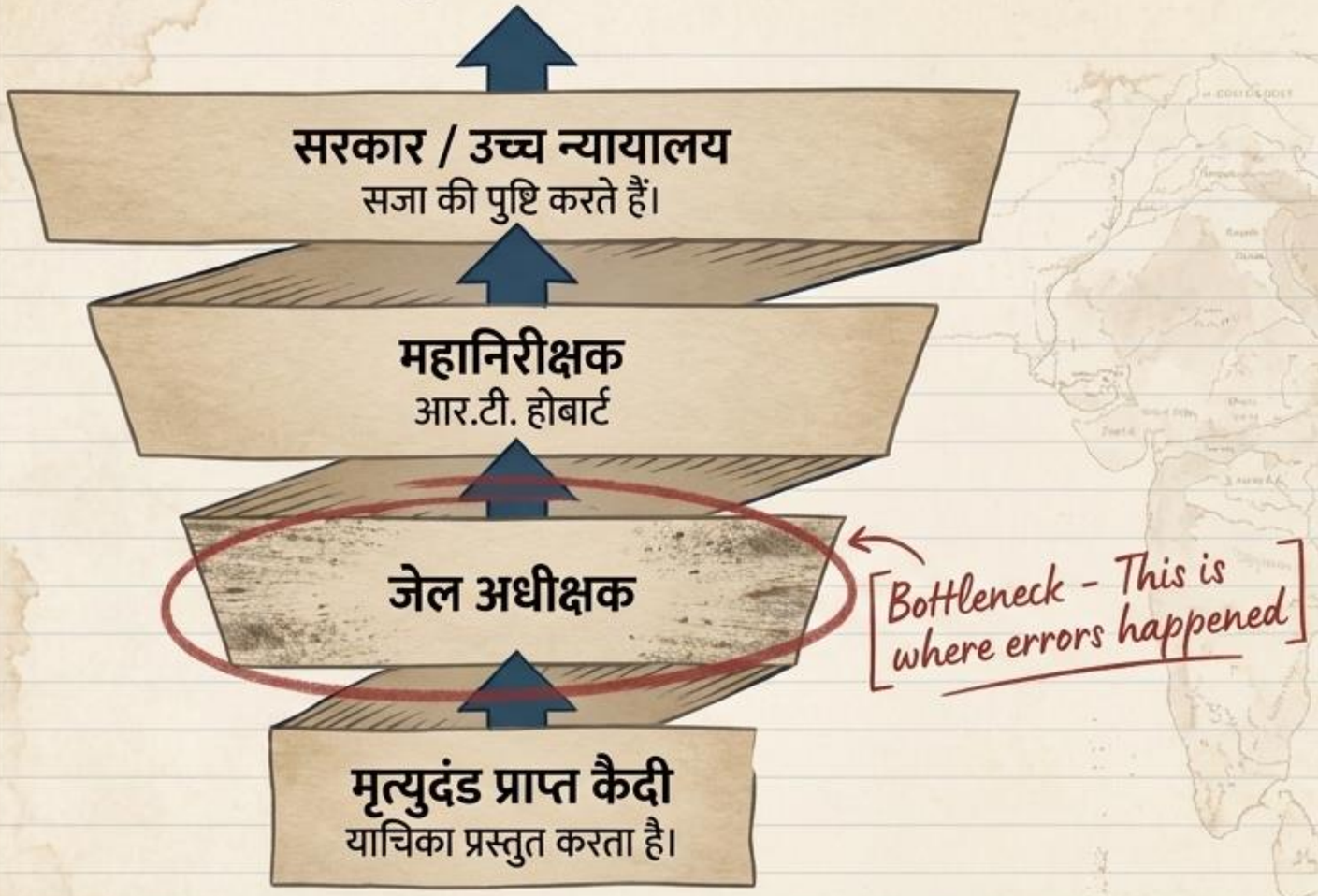

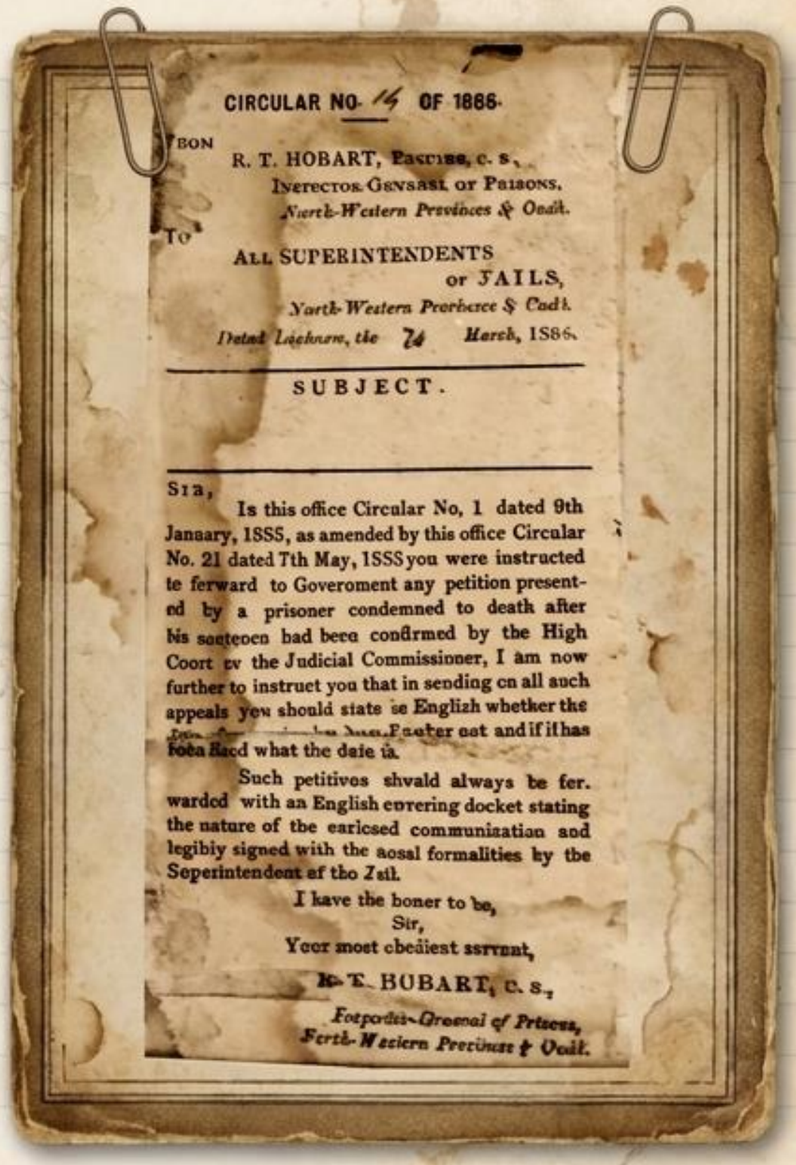

CIRCULAR NO. 14 OF 1886.

FROM

R. T. HOBART, Esquire, C. S.,
Inspector-General of Prisons,
North-Western Provinces & Oudh.

To

ALL SUPERINTENDENTS
of JAILS,
North-Western Province & Oudh.

Dated Lucknow, the 24 March, 1886.

SUBJECT.

Sir,

In this office Circular No, 1 dated 9th January, 1888, as amended by this office Circular No. 21 dated 7th May, 1888 you were instructed to forward to Government any petition presented by a prisoner condemned to death after his sentence had been confirmed by the High Court or the Judicial Commissioner, I am now further to instruct you that in sending on all such appeals you should state in English whether the [illegible] Faster out and if it has been fixed what the date is.

Such petitions should always be forwarded with an English covering docket stating the nature of the enclosed communication and legibly signed with the usual formalities by the Superintendent of the Jail.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant,

R. T. HOBART, C. S.,
Inspector-General of Prisons,
North-Western Provinces & Oudh.

परिपत्र 14 इस बात का प्रमाण है कि मृत्युदंड जैसे गंभीर मामलों में भी, औपनिवेशिक प्रशासन लिपिकीय त्रुटियों (clerical errors) को लेकर सबसे अधिक चिंतित था।

अधीक्षक की अनिवार्य चेकलिस्ट

- ☑ **अंग्रेजी डॉकेट:** याचिका के साथ अंग्रेजी में एक संलग्नक होना चाहिए।
- ☑ **फांसी की तारीख:** स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या फांसी की तारीख तय कर दी गई है, और यदि हाँ, तो वह तारीख क्या है।
- ☑ **संचार की प्रकृति:** संलग्न पत्र की प्रकृति का विवरण।
- ☑ **स्पष्ट हस्ताक्षर:** अधीक्षक द्वारा सामान्य औपचारिकताओं के साथ स्पष्ट हस्ताक्षर।

एक कैदी के जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी एक सही ढंग से भरा गया अंग्रेजी फॉर्म था।

जेल अधीक्षक: व्यवस्था की धुरी

वित्तीय प्रबंधक

मार्च के अंत तक निर्माण बजट को शून्य पर लाना; श्रम का मूल्यांकन करना। (परिपत्र 10)

कल्याण समन्वयक

चिकित्सा अधिकारियों के साथ मिलकर शीतकालीन बचाव (टाट पर्दा) लागू करना। (परिपत्र 11)

श्रम निरीक्षक

जुर्माना न भरने वालों के स्वैच्छिक श्रम और सजा माफी की गणना करना। (परिपत्र 12)

कानूनी क्लर्क

मृत्युदंड की अपीलों के लिए अंग्रेजी डॉकेट और औपचारिकताओं की त्रुटिहीन तैयारी। (परिपत्र 14)

The Colonial Ledger

औपनिवेशिक जेल की दोहरी प्रकृति

दंडात्मक और यंत्रवत

- बजट लैप्स होने का डर
- माफी के लिए कठोर श्रम की शर्त
- मृत्युदंड के लिए निर्दयी नौकरशाही

व्यावहारिक और संरक्षणात्मक

- कैदियों को ठंड से बचाना
- चिकित्सा अधिकारियों पर निर्भरता

औपनिवेशिक कल्याण सहानुभूति से नहीं, बल्कि आर्थिक दक्षता और श्रम शक्ति को बनाए रखने की आवश्यकता से प्रेरित था।

इतिहास के लुप्त पन्ने

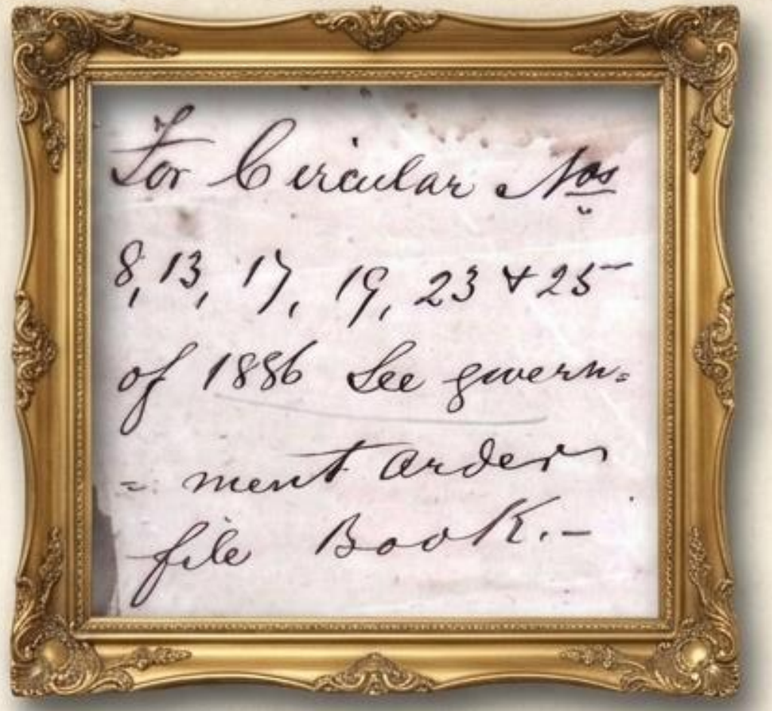

For Circular Nos. 8, I3, I7, I9, 23 & 25
of I886 See government order file Book.

यह हस्तलिखित नोट हमें याद दिलाता है कि हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमेशा अपूर्ण होता है। १८८६ के ये परिपत्र एक विशाल औपनिवेशिक तंत्र के केवल कुछ बचे हुए अंश हैं—एक ऐसी व्यवस्था जो कागजों पर चलती थी, और आज केवल कागजों में ही जीवित है।

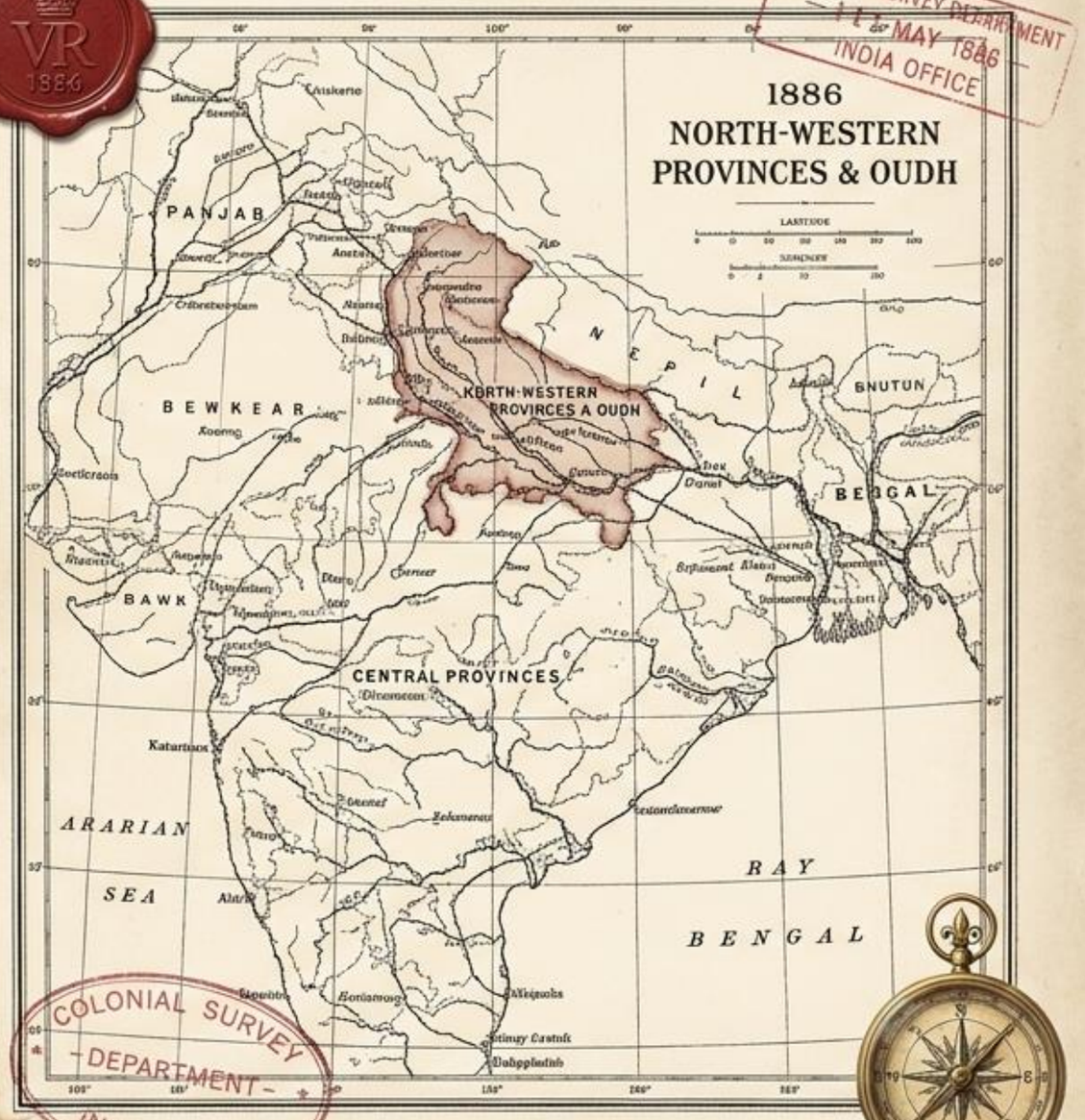

COLONIAL SURVEY DEPARTMENT
12 MAY 1886
INDIA OFFICE

COLONIAL SURVEY
DEPARTMENT
INDIA OFFICE

ऐतिहासिक संदर्भ

- **कालखंड:** मार्च 1886 (वित्तीय वर्ष का अंत)
- **क्षेत्र:** नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेस और अवध (वर्तमान उत्तर प्रदेश)
- **प्राधिकारी:** आर. टी. होबार्ट (R. T. Hobart), कारागार महानिरीक्षक

मुख्य अंतर्दृष्टि: ये दस्तावेज़ स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटिश राज में जेलें केवल सजा काटने के स्थान नहीं थीं, बल्कि एक सख वित्तीय और प्रशासनिक मशीनरी के रूप में कार्य करती थीं।

SECRETARIAT
-NORTH-WESTERN PROVINCES & OUDH-
RECEIVED 12 MAY 1886

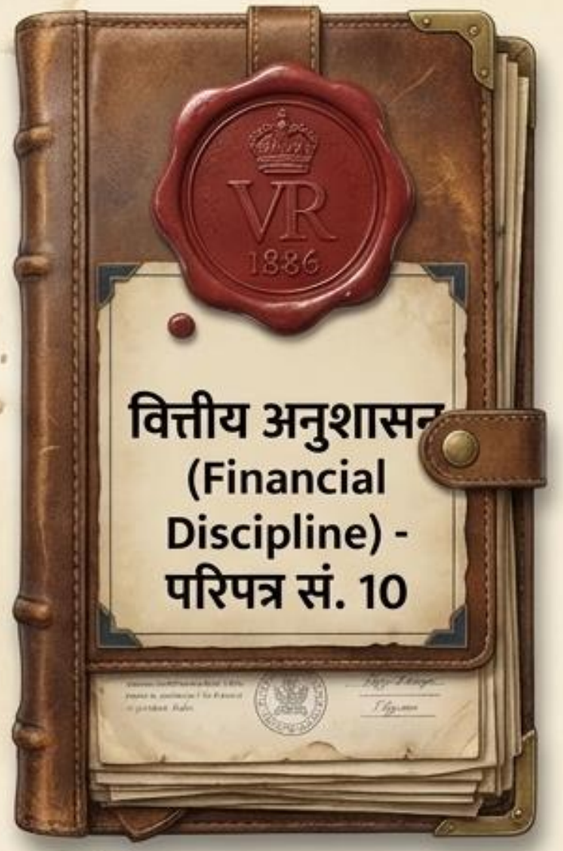

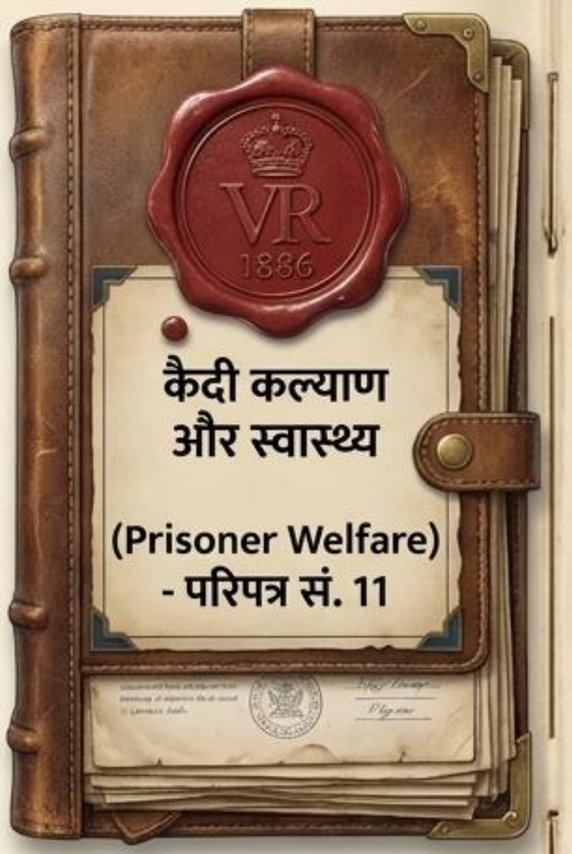

COLONIAL SURVEY DEPARTMENT
— 14 e MAY 1886 —
INDIA OFFICE

मार्च 1886 के केवल 11 दिनों के भीतर, ये चार आदेश औपनिवेशिक प्रशासन की प्राथमिकताओं का एक पूरा चित्र उकेरते हैं।

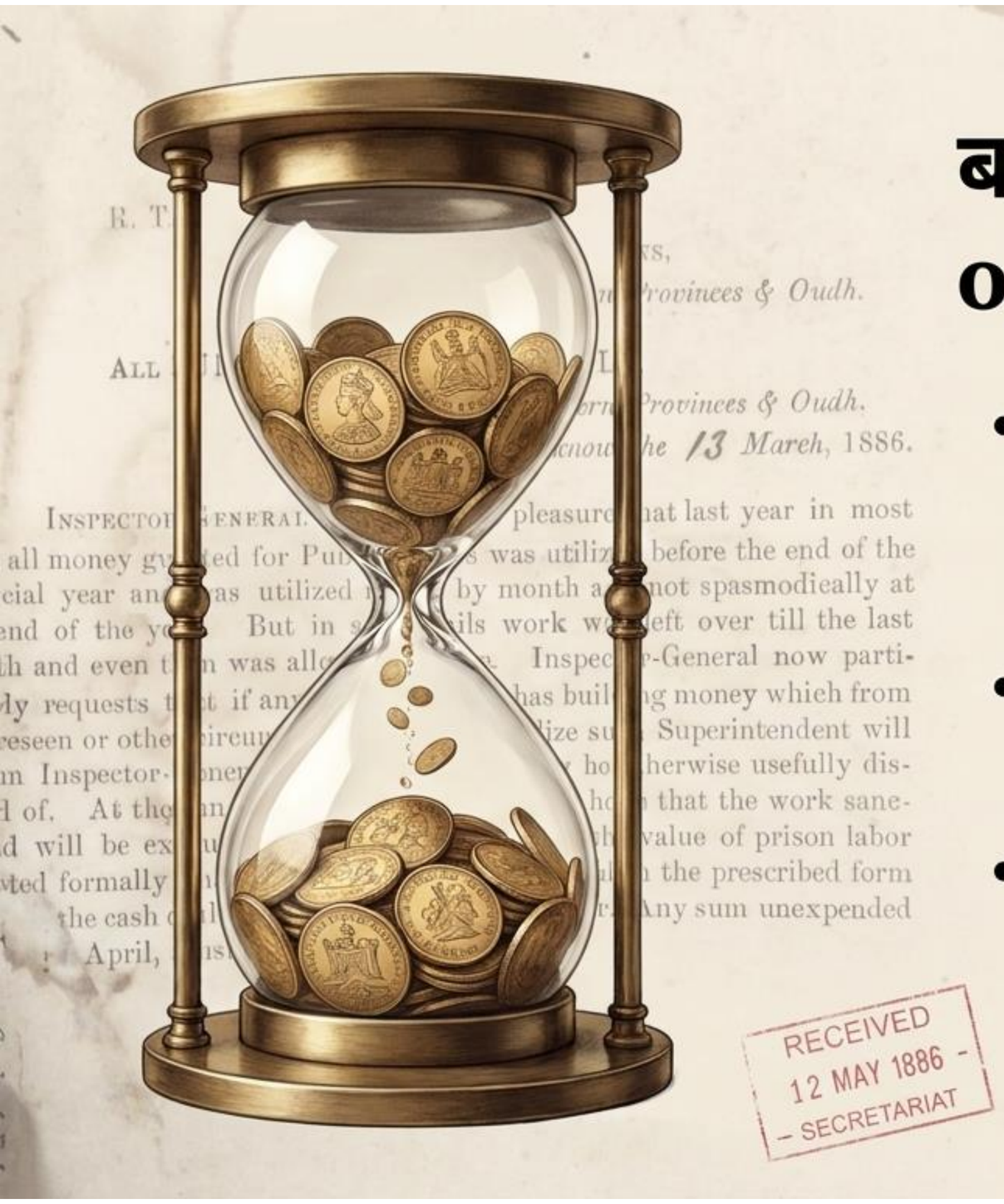

बजट लैप्स का डर (The Fear of Financial Lapse)

- **निर्देश:** सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सभी धन का उपयोग वित्तीय वर्ष (मार्च के अंत) से पहले अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- **चेतावनी:** जो पैसा अप्रैल तक खर्च नहीं होगा, वह 'सरकार को वापस (Lapse)' हो जाएगा।
- **प्रशासनिक टिप्पणी:** महानिरीक्षक ने स्पष्ट किया कि फंड का उपयोग हर महीने समान रूप से होना चाहिए, न कि साल के अंत में हड़बड़ी में (Spasmodically)।

जेल का अर्थशास्त्र (The Economics of the Prison)

नकद व्यय
(Cash Outlay)

सरकार द्वारा निर्माण के लिए दिया गया धन।

कैदी का श्रम
(Value of Prison Labor)

जेल के निर्माण में कैदियों से कराए गए मुफ्त काम का आर्थिक मूल्य।

दस्तावेज़ीकरण का नियम: काम पूरा होने पर, दोनों मूल्यों का हिसाब एक निर्धारित फॉर्म में विधिवत प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। (यह ब्रिटिश राज की पाई-पाई का हिसाब रखने की वित्तीय कठोरता को दर्शाता है)।

मौसम से बचाव और कल्याण

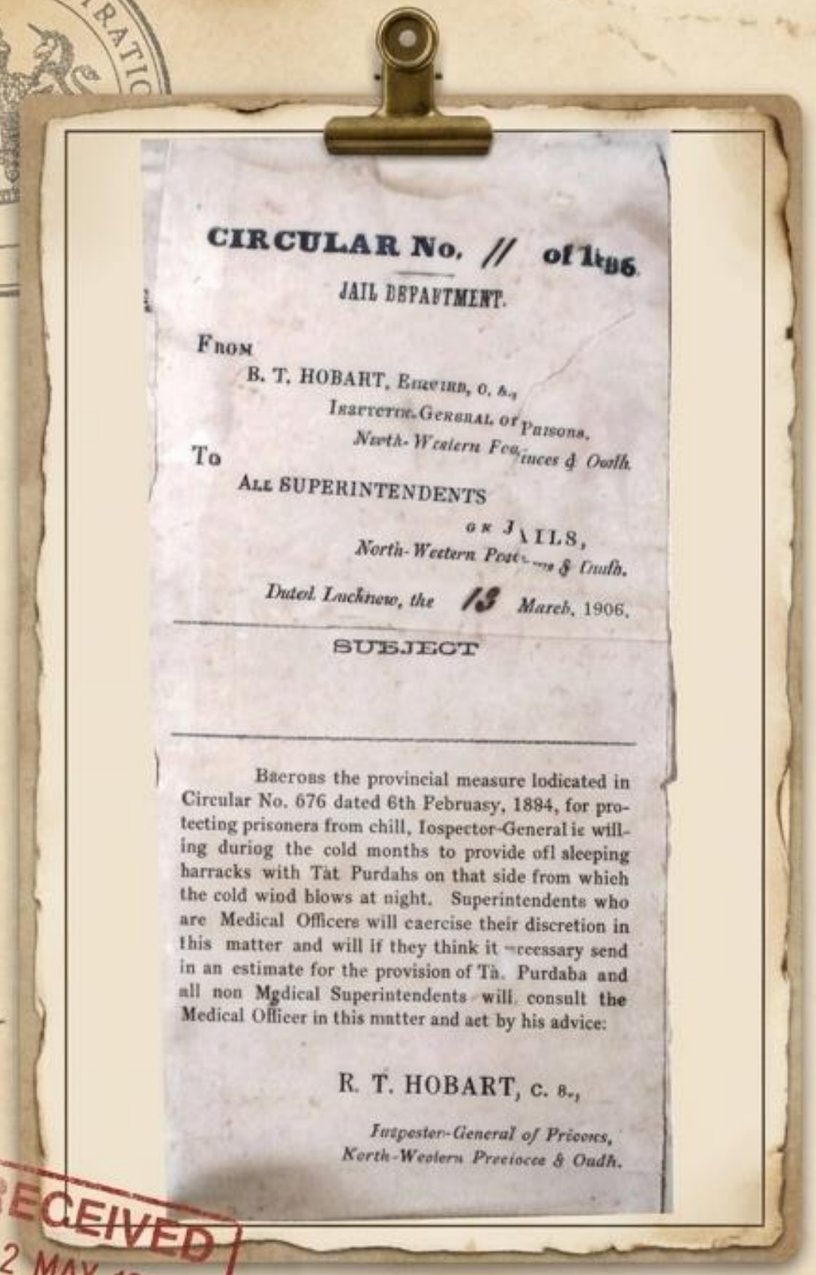

CIRCULAR No. 11 of 1886.

JAIL DEPARTMENT.

FROM

B. T. HOBART, ESQUIRE, C. S.,
INSPECTOR-GENERAL OF PRISONS,
North-Western Provinces & Oudh.

TO

ALL SUPERINTENDENTS
OF JAILS,
North-Western Provinces & Oudh.

Dated Lucknow, the 13 March, 1906.

SUBJECT

Based on the provincial measure indicated in Circular No. 676 dated 6th February, 1884, for protecting prisoners from chill, Inspector-General is willing during the cold months to provide ofl sleeping barracks with Tât Purdahs on that side from which the cold wind blows at night. Superintendents who are Medical Officers will exercise their discretion in this matter and will if they think it necessary send in an estimate for the provision of Tâ. Purdaha and all non Medical Superintendents will consult the Medical Officer in this matter and act by his advice.

R. T. HOBART, C. S.,
Inspector-General of Prisons,
North-Western Provinces & Oudh.

RECEIVED
12 MAY 1886
- SECRETARIAT -

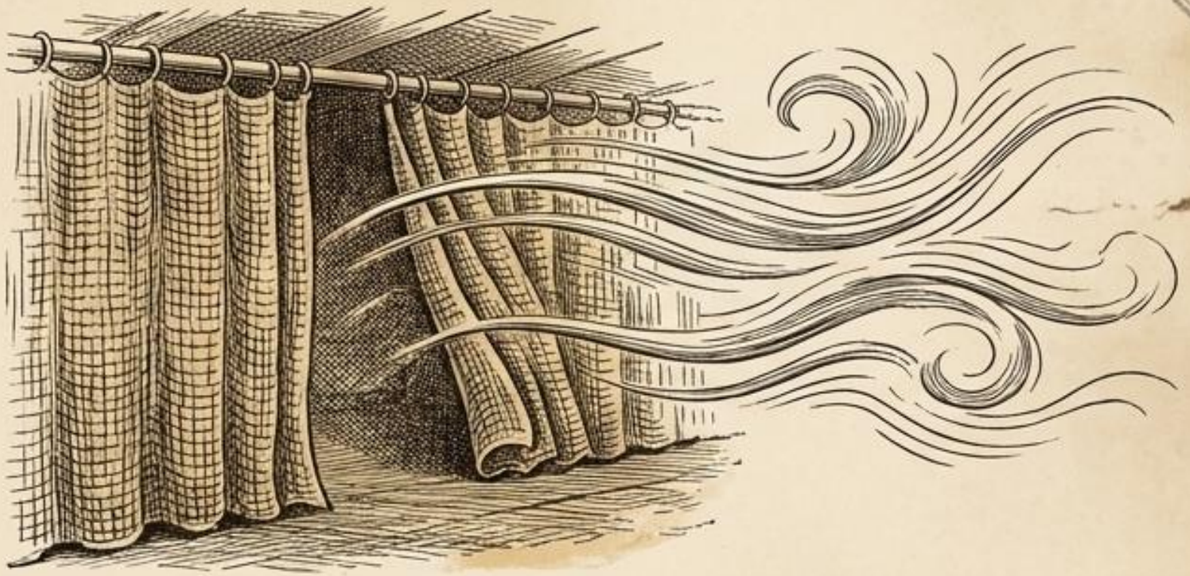

- **मुद्दा:** ठंड के महीनों में सोने की बैरकों में कैदियों को ठंडी हवाओं से बचाना।
- **समाधान:** जिस तरफ से ठंडी हवा आती है, केवल उसी तरफ 'टाट के पर्दे' (Tât Purdahs) लगाना।
- **पूर्व संदर्भ:** यह आदेश 6 फरवरी 1884 के परिपत्र सं. 576 का विस्तार था। यह साबित करता है कि कैदियों का स्वास्थ्य एक सतत प्रशासनिक चिंता थी।

VR 1886

अधिकार और विशेषज्ञता (Authority and Discretion)

क्या जेल अधीक्षक स्ड स्वयं एक चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) है?

हाँ (YES)

विवेकाधिकार: वे पर्दे लगाने का निर्णय स्वयं लेंगे और आवश्यक होने पर खर्च का अनुमान (Estimate) भेजेंगे।

नहीं (NO)

बाध्यता: उन्हें अनिवार्य रूप से चिकित्सा अधिकारी से सलाह लेनी होगी और उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा।

निष्कर्ष: चिकित्सा मामलों में डॉक्टर की राय सर्वोपरि थी, भले ही अधीक्षक प्रशासनिक प्रमुख हो।

RECEIVED
12 MAY 1886
SECRETARIAT

VR
1886

क्षमा का प्रश्न (The Question of Remission)

मामला (The Case):

यदि कोई कैदी जुर्माना नहीं चुका पाता, तो उसे अतिरिक्त सजा काटनी पड़ती है। क्या ऐसे कैदियों को जेल में 'अच्छे आचरण' के आधार पर सजा में छूट मिल सकती है?

जवाब (The Response):

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे सैद्धांतिक स्वीकृति दी, लेकिन क्षमा को मुफ्त नहीं रखा गया। इसे साम्राज्य के लिए उत्पादक श्रम (Productive labor) से जोड़ दिया गया।

APPROVED

RECEIVED
12 MAY 1886
SECRETARIAT

VR 1886

CIRCULAR.

No. 12 OF 1888.

From

R. T. HOBART, Esquire, C. S.,
Inspector-General of Prisons,
North-Western Provinces and Oudh.

To

All SUPERINTENDENTS of JAILS,
North-Western Provinces and Oudh.

Dated Lucknow, the 24 March, 1888.

The following letter of Government regarding the eligibility of prisoners to earn remission on periods of imprisonment passed in default of payment of fine is herewith published for general information.

R. T. HOBART, C. S.,
Inspector-General of Prisons,
North-Western Provinces & Oudh.

No. $\frac{554}{VI.\ 86.\ 21}$ of 1886.

From

The SECRETARY to GOVERNMENT,
North-Western Provinces and Oudh.

To

The INSPECTOR-GENERAL of PRISONS,
North-Western Provinces and Oudh.

Dated Allahabad, the 23rd February, 1886.

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 452 dated the 16th January, 1886, in which you refer for the orders of Government the question of awarding good conduct marks to prisoners who undergo a term of imprisonment in default of payment of a fine.

2. In reply I am to say that the Lieutenant Governor and Chief Commissioner agrees with you that persons sentenced to imprisonment whether rigorous or simple for such default are entitled to eeen remission during confinement auffered in default of payment of fine provided that their substantive sentence is 2 years or more, and in the case of those undergoing simple imprisonment that they voluntarily labour throughout their sentenee.

I have &c.

छूट के लिए योग्यता मैट्रिक्स (Remission Eligibility Matrix)

सजा का प्रकार	मूल सजा की अवधि	श्रम की शर्त	छूट मिलेगी?
कठोर कारावास	2 वर्ष या अधिक	लागू नहीं	हाँ (✓)
सादा कारावास	2 वर्ष या अधिक	स्वेच्छा से पूर्णकालिक श्रम करना होगा	हाँ (✓)
कोई भी सजा	2 वर्ष से कम	लागू नहीं	नहीं (✗)

विश्लेषण: ब्रिटिश न्याय प्रणाली में क्षमा केवल अच्छे व्यवहार पर नहीं, बल्कि साम्राज्य के लिए शारीरिक श्रम करने की आर्थिक उपयोगिता पर निर्भर थी।

अंतिम दंड और कानूनी अपील (The Ultimate Penalty)

पृष्ठभूमि: जब हाई कोर्ट या ज्यूडिशियल कमिश्नर मौत की सजा की पुष्टि कर दे, तो कैदी सरकार को दया याचिका भेज सकता है।

नया निर्देश (24 मार्च 1886): 1885 के पुराने नियमों में संशोधन करते हुए, महानिरीक्षक ने सरकार को याचिका भेजते समय कुछ सख्त प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य कर दिया।

दया याचिका की प्रक्रिया (The Petition Process)

RECEIVED 1886 SECRETARIAT

कदम 1: याचिका

मृत्युदंड प्राप्त कैदी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील।

→

कदम 2: अंग्रेजी डॉकेट

जेल अधीक्षक को अनिवार्य रूप से एक 'कवरिंग डॉकेट' लगाना होगा जिसमें याचिका की प्रकृति का अंग्रेजी में उल्लेख हो और उस पर स्पष्ट हस्ताक्षर हों।

→

कदम 3: फांसी की तारीख

अधीक्षक को अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या फांसी की तारीख तय कर दी गई है? यदि हाँ, तो वह तारीख क्या है।

जीवन और मृत्यु के मामलों में नौकरशाही का रवैया पूर्णतः प्रक्रियात्मक था।

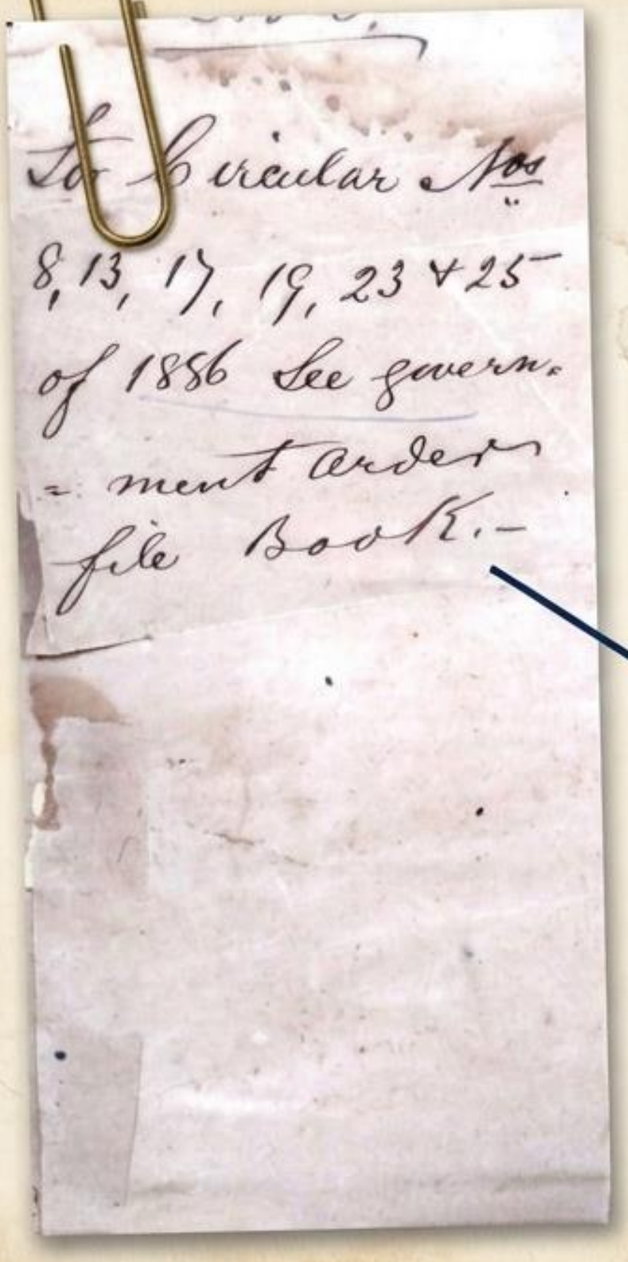

अभिलेखीय वास्तविकता (The Archival Reality)

हस्तलेख का अनुवाद:
“1886 के परिपत्र सं. 8, 13, 17, 19, 23 और 25 के लिए सरकारी आदेश फ़ाइल बुक देखें।”

इतिहास का एक टुकड़ा: यह साधारण हस्तलिखित नोट याद दिलाता है कि यह केवल एक वृहद् नौकरशाही प्रणाली का एक अंश है। दर्जनों अन्य परिपत्र अलग-अलग फ़ाइलों में दर्ज किए जा रहे थे। यह ब्रिटिश शासन की रिकॉर्ड-कीपिंग की असाधारण सूक्ष्मता का प्रमाण है।

प्रशासनिक प्राथमिकताओं का संश्लेषण (The Bureaucratic Matrix)

वित्त (Finance)

शून्य बर्बादी, सख्त समय-सीमा (मार्च अंत तक बजट का उपयोग)।

RECEIVED 1886 SECRETARIAT

स्वर: आदेशात्मक (Commanding)

कल्याण (Welfare)

मौसम से बचाव, लेकिन केवल मेडिकल विशेषज्ञ की सलाह और न्यूनतम खर्च पर।

RECEIVED 1886 SECRETARIAT

स्वर: विवेकाधीन (Discretionary)

कानून (Law)

प्रक्रियाओं का सख्त पालन, अंग्रेजी भाषा और डॉकेट का प्रयोग अनिवार्य।

RECEIVED 1886 SECRETARIAT

APPROVED

स्वर: प्रक्रियात्मक (Procedural)

औपनिवेशिक न्याय का दोहरा चेहरा (The Dual Face of Colonial Justice)

कठोर प्रणाली (The Strict System)

RECEIVED 1888 SECRETARIAT

जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद, क्षमा केवल उत्पादक श्रम के बदले, बजट लैप्स होने का डर, और मृत्युदंड की ठंडी नौकरशाही।

बुनियादी मानवीय कल्याण (Basic Human Welfare)

APPROVED

ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पर्दे लगवाना, और यह सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य संबंधी निर्णय एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिए जाएं।

निष्कर्ष: यह व्यवस्था अंधी या पूरी तरह क्रूर नहीं थी; यह अधिकतम दक्षता (Efficiency) और न्यूनतम दायित्व (Minimum liability) के लिए डिज़ाइन की गई थी।

एक प्रशासनिक सूक्ष्म जगत
(An Administrative Microcosm)

मार्च 1886 के ये कुछ सप्ताह ब्रिटिश भारत के जेल प्रशासन की संपूर्ण कार्यप्रणाली को दर्शाते हैं।

एक ओर जहाँ अंग्रेजी डॉकेट और कागजी कार्रवाई का प्रभुत्व था, वहीं दूसरी ओर पाई-पाई का हिसाब और कैदियों के श्रम का आर्थिक उपयोग इस साम्राज्य के केंद्र में था। न्याय, कल्याण और वित्त—सभी एक ही नौकरशाही मशीन के पुर्जे थे।

[अभिलेखागार समाप्त / END OF ARCHIVAL DOSSIER]